dure at purchase centres, effective supervision at the loading and unloading points. insistence on weighment and accounting of bags at the time of purchase, transportation and receipt. tightening up of security arrangements, award of appropriate punishment to the officials found guilty of negligence for misconduct etc.

Written Answers

DDA's Policy for Allotment of Houses and Plots to Affigent Society

- 3237. SHRI CHITTA MAHATA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:
- (a) whether DDA has derailed from its basic policy in allotting big constructed houses and plots to an affluent society; and
- (b) if so, the reasons therefor and if not, the number of big constructed houses and plots allotted so far to an affluent society?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SPORTS, IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY **AFFAIRS** MALLIKARJUN): (a) DDA (SHRI has reported that its basic policy is to achieve planned development of Delhi and to cater to the housing needs mainly of persons belonging to weaker sections of society. This is being achieved by constructing houses which are allotted on no profit basis to the persons belonging to MIG, L1G and EWS categories. About 96% of the plots disposed of have been allotted to persons belonging to these categories, only 4% plots have been sold by auction to the higher income groups.

(b) Does not arise, in view of reply to part (a) above.

Maintenance of Sewerage System in DDA Colonies Transferred to MCD

3238. SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI: SHRI JAGPAL SINGH:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

- (a) whether according to the Delhi Municipal Corporation to whom the maintenance of sewerage system in DDA colonies has been recently transferred, the sewerage system is not only defective but is also nonfunctional:
- (b) if so, the details thereof and whether Government have made any inquiry into the laying of defective and non-functional sewerage system in DDA colonies for the purpose of fixing responsibility: and
- (c) if so, the result thereof and action taken by Government in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SPORTS, IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING, AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) The Municipal Corporation of Delhi has reported that Sewerage System has not been taken over recently in any colony built by the Delhi Development Authority. The last take over was as back as in 1981.

(b) and (c). Question does not arise.

स्कल आफ एप्लाइड रिसर्घ, सांगली द्वारा बैलगाडी के "माडल" में सुधार

3239. श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या स्कल ऑफ एप्लाइड रिसर्च सांगली के वैज्ञानिकों ने बैलगाडी के प्राने "माडल" में कुछ उपयोगी सुधार किए हैं ;
- (ख) यदि हां, तो किसानों को सुधरी हुई तथा मजबूत बैनगाडियां उपलब्ध कराने के लिए सर-कार की क्या योजना है ;
- (ग) अब तक किसानों को कितनी सुधरी हुई तथा मजबूत बैलगाड़ियां उपलब्ध कराई गई है;
- (घ) क्या सरकार बैलगाड़ियां खरीदने के लिए बैंकों से किसानों के लिए ऋणों की व्यवस्था करती

है, यदि हां, तो कितना और इस बारे में ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी योगेन्द्र मकवाना): (क) व्यावहारिक अनुसंघान विद्यालय, सोगली, जो समिति पंजीकरण अधि-नियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्तकासी निकाय है, के वैज्ञानिकों ने बैलगाड़ियों में कुछ उपयोगी सुघार किए हैं।

- (ख) व्यावहारिक अनुसंघान विद्यालय, सांगली द्वारा विकसित जानकारी को भारतीय राष्ट्रीय अनसंघान विकास निवम, जो विकास और श्रीची-गिकी विभाग के बधीन भारत सरकार का उपक्रम है, को इसके वाणिज्यीकरण के लिए हस्तांतरित किया गया है। राष्ट्रीय अनुसंघान विकास निगम ने बैलगाडी के सुधरे माडल का विनिर्माण करने के लिए एक वाणिज्यिक इकाई को लाइसेंस दिया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंघान परिषद् के केन्द्रीय सड़क अनुसंघान संस्थान द्वारा विक-सित सुघरे माडलों का विनिर्माण कुछ संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैनगाहियों की खरीद के लिए छोटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत की दर से. सीमान्त किसानों व दस्तकारों के लिए 33-1/3 प्रतिशत की दर से और आदिवासियों के लिए 50 प्रतिकत की दर से राजसहायता उप-लब्ध है।
- (ग) देश में सार्वजनिक और निजी संगठनों द्वारा विनिमित सुघरी वैसगाड़ियां उपलब्ध हैं। बैलगाडियों की संख्या के आंकडे नहीं रखे जाते हैं।
- (घ) बैलगाड़ियों की खरीद करने के लिए किसानों को वाणिज्यिक और सहकारी बैंक ऋण प्रदान करते हैं। लघु और सीमान्त किसानों व अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए स्याज की दर 10 प्रतिक्रत वार्षिक तथा अन्यों के लिए 12.5 प्रतिक्रत वार्षिक है। भिन्न स्याज की दर सम्बन्धी

योजना के अन्तर्गत ब्याज की दर 4 प्रतिशत वार्षिक है।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं होता।

मत्स्य उद्योग का विकास

3240. श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या देश में मत्स्य उद्योग का विकास आशा के अनुरूप संतोषजनक नहीं रहा है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ग्रामीण जीवन पर इसका क्या प्रभाव है;
- (ख) क्या सरकार ने कोई उपचारात्मक उपाय किए हैं;
- (ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्यौरा क्या है; बौर

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंद्रासय में राज्य मंत्री (भी योगेन्न मकवाना): (क) देश में मास्त्यकी का विकास संतोषजनक रहा है। तीन दशकों (1951-1981) के दौरान देश में मछली का कृल उत्पादन तीन-गुणा से अधिक हो गया। इसी अवधि के दौरान जन्तदेंशी मछली का उत्पादन चार-गुणा अधिक बढ़ गया। भारत में 1971-1981 के दशक के दौरान मछली के उत्पादन में 32 प्रतिश्वत की वृद्धि दर रही, जबकि इसी अवधि में विश्व में मछली के उत्पादन की वृद्धि दर 13.2 प्रतिश्वत रही। 1983-84 में मछली के उत्पादन के जन्मान के मुताबिक, यह 26.04 लाख मीटरीटन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया।

अन्तर्वेशी क्षेत्र में, गांवों में तालाबों और जलाशयों का 68,000 हैक्टार से अधिक जल क्षेत्र वैज्ञानिक मछली पालन के अन्तर्गत लाया गया है और ग्रामीण इलाकों में मत्स्यपालक विकास अभिकरणों के अन्तर्गत लगभग 46,000